मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2002 (अग्रहायण 4, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) चौधरी राकेश सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) एवं धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1999-2000 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, सतना जिले के रामनगर कस्बे में पुलिस द्वारा गोली चालन से तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनियमितताएं की जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2002 (क्रमांक 26 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) दीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2002 (क्रमांक 27 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री पूरन सिंह बेड़िया, राज्यमंत्री जनशिकायत निवारण, मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता विधेयक, 2002 (क्रमांक 28 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

निर्धारित समय 2 घन्टे

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पालन प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पर चर्चा.

डॉ.ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 नवम्बर, 2002